

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोरिया  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प लेखिया

**:- आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ठाकूरपुरा व भूअनि सपोरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोरिया / नायब तहसीलदार सपोरिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम खावड़ा तहसील सपोरिया व जिला करौली सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 70 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01.	खावड़ा	70	रामलड्डू पुत्र सूडमा हि 5/12 जयराम पुत्र दीपा हि 7/12 गार्ह बेशवा खाठेड्डे खातेदार	रामलड्डू पुत्र सूडमा हि 5/24, जयराम पुत्र दीपा हि 7/24 गार्ह बेशवा खाठेड्डे खातेदार

*[Signature]*  
 पीठासीन अधिकारी (SDM)  
 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"  
 सपोरिया जिला करौली (राज०)  
 पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा.कलक्टर, .....  
 दिनांक:- 18/5/18

क्रमांक:- लोक अदालत/2018/9-11  
 प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामलड्डू पुत्र सूडमा / जयराम पुत्र दीपा की सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।  
गार्ह बेशवा हि खावड़ा  
नहरकापुरा

*[Signature]*  
 पीठासीन अधिकारी (SDM)  
 पीठासीन अधिकारी  
 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"  
 सपोरिया जिला करौली (राज०)